हिंडौन सिटी में सवा तीन इंच बारिश दर्ज, दुकानों में दो फीट तक पानी भरा

खराब ड्रेनेज व्यवस्था की वजह से व्यापारियों ने नाराजगी जताई

हिण्डौन सिटी में बरसात होने से दुकानों में पानी घुस गया।

- बारिश के कई घंटों बाद भी सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी रही

हिंडौन सिटी, (निसं)। हिंडौन सहित आसपास के क्षेत्र में मानसून भले देरी से आया, लेकिन जब भी आया पूरे क्षेत्र को तर कर दिया। शुक्रवार को हुई बारिश से शहर में जगह-जगह जलभराव हो गया, जिससे स्थिति काफी खराब हो गई। करीब 81 एमएम (करीब सवा तीनन इंच) बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया लेकिन खराब ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई।

उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में इस वर्ष भीषण गर्मी का दौर रहा। गत लगभग दो सप्ताह से उमस की मार झेल रहे लोग बेहाल हो गए। पूरे क्षेत्र के लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच मानसून पूर्व की बारिश में कुछ हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई। गत दिवस देर शाम से आसमान में घने बादल छाए रहे और इसी बीच सुबह सात से बारिश का दौर शुरू हुआ दिन में लगभग दस बजे से बारह बजे तक दो घंटे जोरदार बारिश का दौर चला, जिससे पूरे शहर में जलभराव हो गया। कटरा बाजार स्थित दुकानों में करीब 1 से 2 फीट पानी भर जाने से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। खराब ड्रेनेज व्यवस्था की वजह से व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। शहर में जल निकासी की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मानसून पूर्व खारी नाला की पर्याप्त सफाई नहीं होने से इस बारिश में भी जल निकासी की व्यवस्था फेल हो गई। सड़कों पर बारिश के कई घंटों बाद भी जलभराव बना रहा। किराना, वस्त्र, मिष्ठान और शूज की दुकानों में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ। वहीं, बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। खरीफ फसलों में बाजरा, तिल आदि की बुवाई के लिए किसान काफी समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार शाम पांच बजे तक 15 एमएम बारिश दर्ज हुई थी, जबकि शुक्रवार को बारिश 81 एमएम दर्ज की गई। क्षेत्र में बारिश के बाद भी बादल छाए हुए हैं और लोगों को उमस से राहत मिली है।

टोंक में भारी बारिश, बीसलपुर बांध में तीन सेमी पानी आया

टोंक, (निसं)। जिले में इस साल मानसून की सबसे तेज बारिश गुरुवार रात से शुक्रवार तक हुई है। इसके चलते जहां बीसलपुर बांध में भी इस सीजन में पहली बार पानी की आवक हुई है। इसी के साथ बीसलपुर बांध का जल स्तर बीते 24 घंटे में 309.66 से बढ़कर 310.26 मीटर हो गया है। इससे लोगों के चेहरों पर खुशी है। वहीं जिले में 297.66 एमएम बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा जिले के अन्य चांदसेन बांध, टोरडी सागर में भी 24 घंटे में ही ढाई-ढाई मीटर पानी की आवक हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में सुबह 8 बजे तक जिले सबसे ज्यादा बारिश मालपुरा क्षेत्र में हुई है। उस क्षेत्र के चांदसेन रेन गेज सेंटर पर 270 एमएम बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह पीपलू तहसील क्षेत्र में भी तेज बारिश से सड़कें दरिया बन गई है। अस्पताल, स्कूल टापू से बन गए हैं।

इसी बीच गुरुवार रात से जिले के अधिकांश हिस्सों में रुक-रुक कर कई तेज तो कई मध्यम गति की बारिश हो रही है। यह सिलसिला अभी भी जारी है। सबसे ज्यादा बारिश मालपुरा, पीपलू क्षेत्र में हुई है। इससे खेत खलियान भर गए। सड़कें दरिया बन गई। कई स्कूलों में पानी भर गया, हालांकि अभी किसी तरह का बड़ा नुकसान होना सामने आया है। पीपलू क्षेत्र के रा. उच्च प्राथमिक विद्यालय अतलिकपुरा (डोडवाडी), राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अलीनगर (बगडवा) में तेज बारिश के चलते स्कूल भवनों की छत टपक पड़ी।

बारिश के चलते करौली में कई कॉलोनियों के हालात बिगड़े

कई कॉलोनियों के हालात तो इतने बिगड़ गए कि कॉलोनी बारिश के पानी से जलमग्न हो गई

- पानी घुसने से कुछ मकानों में दरार आने से मकान मालिक भयभीत हो गए
- नगर परिषद प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ जेसीबी लेकर पानी की निकासी का प्रयास कर रहे हैं

करौली, (निसं)। शुक्रवार दिनभर चले बारिश के दौर से नगर परिषद क्षेत्र की कई कॉलोनियों के हालात बिगड़ गए। एक-दो कॉलोनी के हालात तो इतने बिगड़ गए कि कॉलोनी बारिश के पानी से जलमग्न हो गई और मकानों में पानी घुसने से कुछ मकानों में दरार आने से मकान मालिक भयभीत है। जलमग्न हुई कॉलोनी में प्रमुख रूप से विवेक विहार कॉलोनी के करीब पांच दर्जन से अधिक मकान है जहां पानी की आवक अधिक होने और पानी की निकासी नहीं होने से कॉलोनी के लोगों में आपस में तनाव की स्थिति बनी हुई है। नगर परिषद प्रशासन पुलिस दल के साथ पानी की निकासी में करीब 4 घंटे की मशक्कत करने के उपरांत भी पानी की निकासी नहीं होने से स्थिति जस कि तस बनी हुई है। शुक्रवार को मौसम की झमाझम बारिश और गत दिन गुरुवार को भी हुई बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से विवेक विहार कॉलोनी वासी गत 2 दिन से नगर परिषद प्रशासन के अलावा जिला कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए पानी की निकासी कि मांग कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद प्रशासन 2 दिन से पुलिस प्रशासन के साथ जेसीबी मशीन को लेकर पानी की निकासी का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कॉलोनी वासियो में आपसी सामंजस नहीं होने और एक दूसरे की ओर से पानी की निकासी नहीं होने देने से समस्या जस की तस बनी हुई है। शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त करणी सिंह परिषद के करीब 8 अधिकारी, कर्मचारी और दो जेसीबी मशीनों के साथ एवं कॉलोनी वासियों के आपसी विवाद को देखते हुए पुलिस बल के साथ पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम, कोतवाल सुनील कुमार, महिला-पुरुष कांस्टेबलों के जाप्ते के साथ करीब एक बजे विवेक विहार कॉलोनी पहुंचे लेकिन कॉलोनीवासियों के आपसी विवाद एक दूसरे की ओर से पानी निकासी के लिए तैयार नहीं हुए। जैसे-तैसे समझाईश के बाद प्रशासन ने पानी निकासी के लिए जेसीबी मशीन लगाकर काम चालू किया। तीन रास्तों से पानी निकासी का रास्ता बनाने के उपरांत भी पानी की निकासी नहीं होने पर कॉलोनीवासियो में आपसी विवाद की नौबत तक बन गई। इसके अलावा कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा थोड़ी शख्ती बरतने पर कॉलोनी की महिलाएं जेसीबी मशीन के सामने आकर विरोध करने पर उतारू हो गई जिसको समझाइश कर जेसीबी मशीन से पानी निकासी शुरू कराया।

करौली में सवा चार, श्रीमहावीरजी में चार इंच बारिश हुई

करौली में कलेक्ट्रेट सर्किल स्थित दुकानों में पानी भर गया।

- बारिश से सड़कें दरिया बन गई, वहीं नदी, तालाब और नालों में पानी की आवक जारी

करौली, (निसं)। करौली जिला मुख्यालय सहित जिले में मानसून पूरी तरह मेहरबान है। लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। प्रातः करीब 7:30 बजे से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश का दौर दोपहर 12 बजे तक लगातार चलता रहा इस बीच कभी धीमी तो कभी तेज गति से बारिश का दौर चला। शुक्रवार को प्रात 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक करौली जिला मुख्यालय पर झमाझम बारिश हुई जिसके चलते सड़कें दरिया बन गई।

सिंचाई विभाग के अनुसार करौली में 114 एमएम (सवा चार इंच), श्रीमहावीरजी में 106 एमएम और हिंडौन में 81 एमएम बारिश दर्ज की गई है। इसके चलते क्षेत्र के नदी, तालाब और नालों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। वहीं जिले के सबसे बड़े पांचना बांध में भी पानी की आवक हुई है। तेज बारिश के दौर के चलते मुख्यालय कि निचली कॉलोनी, बस्तियां के रास्ते पानी से लबालब हो गए। कई घरों में पानी घुस गया। इसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ ही प्रातः स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हुई। बच्चे भीगते हुए स्कूल पहुंचे। वहीं कर्मचारियों को भी कार्यालय पहुंचने में देरी हुई। करौली जिला मुख्यालय पर विवेक विहार, एनएच-23 स्थिति मैगजीन क्षेत्र,कोर्ट के सामने,रामद्वारा के सामने गौशाला रोड, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के सामने सहित कई स्थानों पर जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि आगामी दो दिन तक शहर के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति होना संभव नहीं है। शहर के गणेश गेट बाहर स्थित पंप हाउस पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। उसके पेनल, मोटर पानी में डूबे हुए हैं। इसके अलावा होली खिडकिया टंकी और चौबेपाडा स्थित जलाशय से पेयजल आपूर्ति नहीं होगी।

न्यायाधीश एस. चन्द्रशेखर ने ली शपथ

राजस्थान हाईकोर्ट में अब हुए 33 न्यायाधीश, पर अभी 17 पद रिक्त हैं

- मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई
- जस्टिस चन्द्रशेखर झारखंड हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए हैं, उनके राजस्थान तबादले की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने दिसम्बर 2023 में की थी

जोधपुर, (कासं)। झारखंड हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए वरिष्ठ न्यायाधीश एस. चन्द्रशेखर को राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। शुक्रवार सुबह मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में आयोजित हुआ जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देखी गई। जयपुर पीठ के न्यायाधीश वीसी से जुड़े। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय ने दो दिन पहले उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी।

झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एस. चंद्रशेखर का दो दिन पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया था। केंद्रीय विधि एवं विधिक कार्य विभाग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एवं वरिष्ठ न्यायाधीश एस चंद्रशेखर का स्थानान्तरण राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने 29 दिसम्बर 2023 को न्यायाधीश एस चन्द्रशेखर का राजस्थान हाईकोर्ट तबादला करने की सिफारिश की थी। जस्टिस चन्द्रशेखर ने शपथ ग्रहण के साथ ही कार्यभार संभाल लिया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्य पीठ जोधपुर के सभी जस्टिस मौजूद रहे जबकि जयपुर पीठ के सभी जस्टिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

25 मई 1965 को जन्मे न्यायाधीश चंद्रशेखर ने 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एल.एल.बी. की डिग्री ली थी और 9 दिसंबर 1993 को दिल्ली राज्य बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित हुए। वे 2013 में झारखंड हाईकोर्ट, रांची के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और 2023 से वे झारखंड हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है।

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस एस चंद्रशेखर के आगमन के बाद भी 17 न्यायाधीशों के पद खाली हैं। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 50 पद स्वीकृत हैं। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 32 न्यायाधीश कार्यरत थे। अब जस्टिस एस चंद्रशेखर के बाद हाईकोर्ट में 33 न्यायाधीश हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी 17 न्यायाधीशों के पद खाली हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के सभी पद कभी भी नहीं भरे गए हैं। यहां न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 38 से 40 के बीच ही रही हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता विपुल सिंघवी को राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए गए पैनल में वित्त मंत्रालय के डीआरआई व जीएसटी इंटेलिजेंस केसों के लिए नियुक्ति किया है। उनकी सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के रुप में नियुक्ति की गई है। यहां पूर्व में भी विपुल सिंघवी सेवाएं दे चुके हैं। केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में वह सेवाएं दे चुके हैं।

जहाजपुर पं. स. प्रधान सीता देवी को निलंबित किया

- 'इस निलम्बन के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे'

भीलवाड़ा, (निसं)। पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव ॥ (जांच) ने एक आदेश जारी करते हुए जहाजपुर प्रधान सीता देवी गुर्जर को तुरन्त प्रभाव से प्रधान पद से निलम्बित कर दिया। यह खबर सुनते ही भाजपाइयों ने फटाके फोड़े और मिठाईयां बांटी।

आदेश मे बताया गया कि सीता देवी गुर्जर, प्रधान, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला शाहपुरा (भीलवाडा) द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 33 (क) एवं धारा 46 (1) में वर्णित प्रावधानों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित नहीं करने के आरोप विभागीय जांच रिपोर्ट में प्रमाणित पाये गये हैं, जिसके लिए सीता देवी गुर्जर, प्रधान, पंचायत समिति जहाजपुर उत्तरदायी हैं। इस संबंध में प्रधान को आरोप पत्र भी दिया गया है। राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा सीता देवी गुर्जर, प्रधान, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला शाहपुरा (भीलवाड़ा) को तुरन्त प्रभाव से प्रधान पद से निलम्बित करने के आदेश जारी किये। निलम्बन काल में वे पंचायत समिति, जहाजपुर के किसी कार्य एवं कार्यवाही में भाग नही लेंगी।

कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने प्रधान सीता देवी गुर्जर को निलम्बित करने पर कहा कि राज्य सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर एक तरफा कार्यवाही करते हुए मिथ्या आरोपों के नाम पर प्रधान सीता देवी गुर्जर को निलम्बित करने का कार्य किया है और इस निलम्बन के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ने जनहित व जहाजपुर की जनता हित में अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने तीन सालों के कार्यकाल में जो अनियमितताएं व भ्रष्टाचार किया, उनकी जांच के उपरांत ही सरकार ने यह निर्णय लिया है।

खेतड़ी में तेज बारिश हुई, पानी के तेज बहाव में व्यक्ति बहा

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कस्बे के ऐतिहासिक भोपालगढ़ के किले पर झरने चलने से लोग नहाने के लिए पहुंचने लगे हैं। गुरूवार शाम को बारिश के दौरान मुख्य बाजार में ढलान क्षेत्र का पानी आने से रास्ते में चल रहा एक व्यक्ति बहने लगा। इसके बाद आसपास के व्यापारियों ने उसे बचा लिया।

खेतड़ी कस्बे में पहाड़ी का पानी मुख्य बाजार में आम रास्ते से होकर गुजरता है, जो पानी की आवक अधिक होने पर तेजी से पानी बहता है। कस्बे के टोड़ी मौहल्ला निवासी विजेश बरसात में मुख्य रास्ते से गुजर रहा था। इस दौरान वह तेज बहाव के साथ पानी में गिर गया और पानी के साथ बहने लगा। विजेश पशु अस्पताल में काम करता है। वह घटना के दौरान अपने घर जा रहा था। व्यापारियों ने बताया कि पानी में बहने से उसके चोटें भी आई हैं। जिसके बाद उसका उपचार करवाया गया। पानी में यदि व्यापारी पानी में बह रहे व्यक्ति को नहीं बचाते तो बड़ा हादसा हो सकता था।

शहर में गुरुवार दोपहर से रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। शहर में तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई और अब तक कुल 44 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। करीब आधे घंटे तक हुई तेज बारिश के बाद क्षेत्र के बहाव क्षेत्र की गलिया उफनती नदियों में तब्दील सी हो गई। बरसात के पानी से जगह-जगह गलियों में कई रास्ते जलमग्न होने से आवागमन बाधित हो गया। खेतड़ी के अलावा आसपास के क्षेत्र में बरसात होने से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है तथा मौसम भी सुहाना हो गया है।

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान
E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419
क्रमांक :-न.प.सु/सामान्य शाखा/2024/1724 दिनांक :- 04.07.2024
-: ई-निविदा सूचना-2024-25 :-

नगर परिषद सुजानगढ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से निविदा दिनांक 19.07.2024 तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक (DLB2425SLOB02421) है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।

राज.संवाद/सी/24/1792 आयुक्त, नगर परिषद सुजानगढ

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति "विशिष्ट श्रेणी" बारां (राज0)
क्रमांकः-947 दिनांक :- 03.07.2024
बिड आमंत्रण सूचना संख्या 01/2024-25

कृषि उपज मण्डी समिति बारां के सुरक्षा व्यवस्था ठेका (अनुमानित लागत 120.00 लाख रूपये) हेतु सुरक्षा कर्मीयों की आपूर्ति के कार्य के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों/सहकारी संस्थाओं/स्वयं सेवी संस्थाओं से ठेका पद्धति पर ऑनलाईन निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट (www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से दिनांक 24.07.2024 दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No. DAM2425SLRC00359
सचिव
राज.संवाद/सी/24/1819 कृषि उपज मण्डी समिति, बारां

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
क्रमांक-सं.वि.सं. 06/EXAM/A.C.P. (Deputy Director)/EP-I /2024-25 दिनांक-05.07.2024

आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हेतु राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर/उप निदेशक (Analyst-Cum-Programmer/Director) के 45 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है-

आयु सीमा	दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आवेदन अवधि	दिनांक 16.07.2024 से दिनांक 14.08.2024 रात्रि 12.00 बजे तक।
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जायेगा।

अन्य विन्दु व सूचना-एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.-0145-2635212 एवं 2635200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए। DIPR/C/5577/2024 राम निवास मेहता, सचिव

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग प्रथम-जोधपुर
क्रमांक-837 दिनांक-01.07.2024
अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 03/पीएमजीएसवाई/2024-25
NIB NO. PWD2425A0485

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जारी वित्तीय प्रोत्साहन राशि से सडक नवीनीकरण कार्य के निम्नलिखित कार्यो मय पांच साल की मरम्मत के लिए 1 पैकेज हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://pwd.rajasthan.gov.in व http://pmgsytendersraj.gov.in पर देखा जा सकता है। पैकेजवाईज यू.बी.एन संख्या निम्नानुसार है।
1. PWD2425WSOB01878

इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट http://pmgsytendersraj.gov.in पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
(देवीलाल आर्य)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
DIPR/C/5327/2024 सा.नि.वि. संभाग प्रथम, जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान
आबकारी भवन 2-गुनियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001
क्रमांक-F.32(B)(1)(AP)EX/L/2024-25-03000part(6)/1011 दिनांकः 05.07.2024
पडत मदिरा की रिटेल ऑफ कम्पोजिट दुकानों के
अनुज्ञापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2024-25 के अनुसार पडत रही कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया से बन्दोबस्त करने हेतु निम्नानुसार ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

1	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 06.07.2024 अपरान्ह 3.00 बजे से
2	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 09.07.2024 सायं 5.00 बजे तक
3	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक, समय व स्थान	दिनांक 09.07.2024 को सायं 5.30 बजे से संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय।

ई-निविदा में भाग लेने की शर्ते-

1. यह निविदा वेबसाइट https://www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। उक्त निविदाएं बेबसाईट https://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत की जानी है। ई-निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में लॉगिन / साइन करने हेतु काम में आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओ के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उन्हे नया सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।
2. देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की कम्पोजिट दुकानों का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, अनुमानित गारण्टी राशि, अमानत राशि, धरोहर राशि, पंजीकरण शुल्क का विवरण विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
3. ई-निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मदिरा दुकान का फार्म डाउनलोड करके फार्म के साथ 3 प्रक्रिया शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि के चालान राजकोष में ऑनलाईन / ऑफलाईन जमा करवाकर चालानों की प्रति अपलोड करनी होगी। इन राशियों के जमा नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को निम्नलिखित राशियां उनके सामने उल्लेखित राजकोष मद में जमा करवानी होगी :-

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपये में)	राजकोष लेखा मद
1	RISL की प्रक्रिया पंजीकरण शुल्क	रू. 2000/-	8658-00-102-(16) -01 (सिविल विभाग)
2	आवेदन शुल्क	निविदा के संबंध में जारी दिशा- निर्देश एवं शर्तों की शर्त संख्या 6.11 के अनुसार रू. 10,000/- से लेकर रू. 20,000 तक (अनुमानित गारण्टी राशि के अनुसार)	0039-00-501-01-00 (आवेदन शुल्क)
3	अमानत राशि	अनुमानित गारण्टी राशि की 2 प्रतिशत	8443-00-103-00-00 (प्रतिभूति जमा)

ई-प्रोक पोर्टल से प्रकिया शुल्क, निविदा शुल्क एवं अमानत राशि का एक चालान जनरेट करने पर लेखा मद 0075-00-800-52-01 (निविदा प्रपत्र शुल्क) में राशि रू. एक रूपया जमा करवाकर आवेदन शुल्क का चालान पृथक से राजकोष में मद 0039-00-501-01-00 में जमा करवाया जा सकता है।

4. अनुमानित गारण्टी राशि से कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने के समस्त अधिकार आबकारी आयुक्त को होगें।
5. स्वीकृत निविदादाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-निविदा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करानी होगी।
6. निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा-धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
7. मदिरा दुकानों के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-निविदा में भाग ले सकेंगे, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश, आबकारी नीति वर्ष 2024-25 तथा प्रारूप अनुज्ञापत्र इत्यादि https://excise.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जिनका ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व भली भाँति अध्ययन कर लेना चाहिए। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
8. ई-निविदा के संबंध में अन्य प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 एवं राजस्थानआबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।
9. ई-निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायिक क्षेत्र संबंधित जिला ही रहेगा।

(अंश दीप)
DIPR/C/____/2024 आबकारी आयुक्त, राजस्थान

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक-निदे/अ.ख.स.अ.नीलामी/निलामी (ML Bajri-IV)/2024/ई-07123
ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के अध्याय-||| के तहत विभाग के अप्रधान खनिजों के खननपट्टों के आवंटन के लिए 12 प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती हे। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

क्र.सं.	जिला	ग्राम (तहसील)	खनिज	कुल प्लॉट
1	ब्यावर	रायपुर-1, झूठा, कुणालपुरा (रायपुर)	बजरी	2
2	नागौर	झिंटिया, सुरियास, रियाबडी (रियाबडी)	बजरी	2
3	फाली	सोनाईमाजी (पाली)	बजरी	2
4	जोधपुर (ग्रामीण)	संत लिखमाराम, लाखडथुम्ब (लूणी)	बजरी	2
5	बालोतरा	कनाना (पचपदरा)	बजरी	2
6	भीलवाडा	जवासियां, सायला, बरडोद (हमीरगढ)	बजरी	1
7	चित्तौडगढ	आकोला,चौकडी,बाबरिया खेडा, बडवई, जोयड (भूपालसागर)	बजरी	1

विशेष नोट-1. प्लॉटो का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण ई-ऑक्शन की शर्ते विभागीय वेबसाई www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेट फार्म प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd. की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध है।

(भगवती प्रसाद)IAS
DIPR/C/5405/2024 निदेशक

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति भीनमाल जिला जालोर (राज.)
E-mail- psbhinmal@yahoo.co.in, egsmis.bnm@gmail.com, Phone-02969-222230
क्रमांक-एफ( )पसभी/लेखा/वाहन नीलामी/2024-25/172 दिनांक-24.06.2024
वाहन नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंचायत समिति भीनमाल की निजी आय से क्रय की गई नॉन ए.सी. वाहन बोलेरो को नाकारा घोषित किये जाने पर जिस हालत में है उसी हालत में सार्वजनिक नीलामी बोली द्वारा गठित कमेटी के समक्ष पंचायत समिति भीनमाल के परिसर में दिनांक 16.07.2024 वक्त 2 पी.एम. पर नीलाम किया जाना है इच्छुक बोलीदाता दिनांक 16.07.2024 वक्त 12 पी.एम. तक 500/- रूपये का नीलामी शुल्क एवं 30,000/- रूपये धरोहर राशि बाबत जमा करवाकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है। नीलामी प्रक्रिया से संबंधित शेष शर्ते कार्यालय या http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहन का प्रकार	इंजन नंबर	चैसिस नंबर	वाहन मॉडल	वाहन का क्रय मूल्य	नीलामी स्थल
RJ-16UA-1932	Bolero Lx MDI TC 2WD	GHA4M 62725	MAIPL2GH KA2M90737	2010	5,85,000/- रू.	पंचायत समिति भीनमाल

NIB NO. ZJR2425A0040, UBN NO. ZJR2425GSOB00037
(किरण भारतीय) (हेमाराम)
प्रधान विकास अधिकारी
पंचायत समिति भीनमाल DIPR/C/5333/2024 पंचायत समिति भीनमाल